बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक:–6/प्रा0आ0 106/10– 1222 पटना, दिनांक– 15/04/10

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,

विषयः– स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेन्ट के आधार पर प्राप्त किये जाने वाले निविदा के संबंध में।

राज्य के सभी कार्य विभागों में पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3451 (S), दिनांक–12.03.08 के द्वारा 2.00 करोड़ रूपये से ऊपर की निविदाओं पर Standared Bidding Document की व्यवस्था लागू है।

पथ निर्माण विभाग द्वारा Joint Venture/ Partnership एवं अन्य बिन्दुओं पर प्राप्त परामर्श के आलोक में यह निदेश दिया जाता है कि आगे से प्राप्त की जानेवाली निविदाओं में निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(i) Joint Venture में अधिकतम 3 कम्पनी/फर्म/व्यक्ति सहभागी हो सकते हैं।

(ii) टेन्डर के लिये जो Qualification Criteria निर्धारित है, उसका कम–से–कम 50 प्रतिशत लीड पार्टनर एवं शेष 50 प्रतिशत अन्य पार्टनर द्वारा fulfil करना चाहिए, परन्तु यदि किसी भी हालत में अन्य पार्टनर द्वारा qualification criteria की 25 प्रतिशत से कम अर्हता मान्य नहीं होगी।

(iii) Joint Ventrue के सभी सहभागी समान रूप से SBD के contract conditions के अनुपालन के लिये उत्तरदायी होंगे। यदि दंड दिया जाना है, तो सभी को समरूप से दिया जायेगा। परन्तु, अनुभव में लीड पार्टनर को कम–से–कम 50 प्रतिशत एवं अन्य पार्टनर्स को कम–से–कम 25 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।

(iv) Joint Venture द्वारा एक संयुक्त खाता खोला हुआ होना चाहिए, जिससे भुगतान का ट्रान्जेक्शन होता हो, एवं Joint Venture के सदस्यों द्वारा नामित व्यक्ति को दी गई Power of Attorney ही मान्य होगी।

(v) Joint Venture द्वारा बैठक कर निर्णय लेने के पश्चात् किसी भी पार्टनर द्वारा समर्पित Earnest Money एवं Performance Guaranttee के रूप में BG /Time Deposit की मान्यता दी जानी है, अन्यथा यह Joint Venture के संयुक्त नाम से ही मान्य होगा।

(vi) Joint Venture के बारे में स्पष्ट उल्लेख निविदा आमंत्रण सूचना एवं Standard Bid Document के आलोक में तैयार परिमाण विपत्र में हो।

(vii) Joint Venture/Partnership एव अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर पथ निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं नियम का अनुपालन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा भी किया जाय।

(viii) निविदा हेतु परिमाण विपत्र की प्रति उचित मूल्य देकर किसी फर्म एवं व्यक्ति द्वारा क्रय की जा सकती है, क्योंकि परिमाण विपत्र बिक्री हेतु सभी के लिए उपलब्ध होता

है। किन्तु, मात्र परिमाण विपत्र खरीदने के पश्चात् निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम नहीं माने जायेंगे।

(ix) संवेदको के निबंधन के संबंध में भी स्पष्टता रखी जायेगी। परिमाण विपत्र खरीदने के पश्चात् मात्र विभाग में निबंधित फर्म/व्यक्ति ही निविदा में भाग ले सकेंगे।

(x) प्रत्येक निविदा के लिये Standard Bidding Document के आधार पर परिमाण विपत्र तैयार किये जायेंगे, जिस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति भी ली जायेगी।

(xi) प्रत्येक कार्य प्रमंडल एवं अन्य उच्च स्तरीय कार्यालय निविदा आमंत्रण आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर ही करेंगे। निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र में एकरूपता रखी जायेगी।

(xii) विभाग द्वारा कार्य की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु Third Party Inspection की ठोस व्यवस्था की जाए।

इसे अति आवश्यक समझे।

ह0/-
(ए0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

ज्ञापांक– 1222 पटना, दिनांक– 15/04/10

प्रतिलिपिः– 1. सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

3. मुख्य अभियंता (नागरिक)/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/कार्यपालक अभियंता (मो0)/कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0)/उप निदेशक (मू0)/निदेशक, जल गुणवत्ता/निदेशक, पी0एम0यू0/निदेशक, सी0सी0डी0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सह आन्तरिक वित्तीय सलाहकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/4/10
(ए0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियंता (नागरिक)